न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 225/2019

प्रार्थीगण :-

1 राणाराम पुत्र रामारामजी जाति कुम्हार
2 पारसमल पुत्र रामरामजी जाति कुम्हार
निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. लीलादेवी पत्नी नारायण पुत्रवधु छोगाजी
2. सुआ पत्नी मोडाराम कुम्हार
3. नरसिंगाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार
4. भगवानचन्द पुत्र मोडाराम कुम्हार
5. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल पुरोहित
6. ढलाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार
7. गणपत पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार
8. हनुमानराम पुत्र पेमाराम कुम्हार
9. टीपुदेवी पत्नी पेमाराम कुम्हार
10. सोपाराम पुत्र सकाराम कुम्हार
11. हीरालाल पुत्र सकाराम कुम्हार
12. राजेन्द्रकुमार पुत्र सकाराम कुम्हार
13. जैसाराम पुत्र खुबाराम कुम्हार
14. लच्छीराम पुत्र खुबाराम कुम्हार
15. रंगुदेवी पत्नी खुबाराम कुम्हार
16. वंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल घांची
17. दुर्गाराम पुत्र चुन्नीलाल घांची
18. गौतम पुत्र चुन्नीलाल घांची
19. दाखुदेवी पत्नी चुन्नीलाल घांची
20. गोविन्दराम पुत्र मांगीलाल पुरोहित
21. सुकीदेवी पत्नी मांगीलाल पुरोहित
22. जगाराम पुत्र मोडाराम कुम्हार
23. आयुक्त/सभापति नगर परिषद बालोतरा।
24. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0</u>
<u>बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :-

1. श्री प्रेमसिंह प्रार्थीगण वकील
2. श्री देवीसिंह विप्रार्थीगण वकील
3. श्री जेठूलाल विप्रार्थीगण वकील

छोटी 68- 5- बड़ी

Scanned by CamScanner

'आदेश'

दिनांक :– 5.10.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा जैरला के ख0 न0 599/50 रकबा 06 बीघा 15 विस्वा पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर मे आयी हुई है। विप्रार्थीगण सख्या –1 ता 24 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 24 सीमा चिन्हों बाउण्डरियों को लेकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 28.11.2019 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 6 ता 9, 11, 13 ता 15, 21.22, 23 की और वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण संख्या 6 ता 15 की ओर से जबाब पेश किया गया । दीगर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी बाद तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित अतः उक्त विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया। विप्रार्थीगण वकील नें सीमाकंन करने हेतु सहमती जाहिर की । विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner